

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्या:-V/उ0-4-01/2019-757/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक-08.05.2018 में श्री रामबाबु (वरीयता क्रमांक-29), अधीक्षक उत्पाद का सहायक आयुक्त उत्पाद के पद पर प्रोन्नति हेतु विचारण के क्रम में निलम्बन के कारण प्रोन्नति लंबित रखते हुए अभिमत मुहरबंद लिफाफा में सुरक्षित रखा गया था।

विभागीय अधिसूचना संख्या-2851 दिनांक-14.08.2018 द्वारा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में दोषी नहीं पाते हुए मामले को संचिकास्त किये जाने एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-3028 दिनांक-04.09.2018 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किये जाने के फलस्वरूप उनके संबंध में अभिरक्षित मुहरबंद लिफाफा को खोला गया।

मुहरबंद लिफाफे में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा श्री रामबाबु, निलम्बित अधीक्षक उत्पाद को निलंबन मुक्त होने के उपरान्त दोषमुक्त पाये जाने पर सहायक आयुक्त उत्पाद के पद पर प्रोन्नति के योग्य पाए जाने की अनुशंसा की गयी है। श्री रामबाबु से कनीय किसी पदाधिकारी को सहायक आयुक्त उत्पाद के पद पर प्रोन्नति नहीं दी गयी है।

अतः श्री रामबाबु (वरीयता क्रमांक-29), अधीक्षक उत्पाद (मद्य निषेध), वेतन स्तर-9 को सहायक आयुक्त उत्पाद (मद्य निषेध), वेतन स्तर-11 के पद पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से औपबधिक प्रोन्नति दी जाती है। प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कृष्ण कुमार वर्मा)

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 28.02.19

ज्ञापांक:- V/उ0-4-01/2019 757

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई गजट कोषांग, वित्त विभाग पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशन के लिए प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 28.02.19

ज्ञापांक:- V/उ0-4-01/2019 757

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 28.02.19

ज्ञापांक:- V/उ0-4-01/2019 757

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी (उत्पाद)/सभी समाहर्ता/सभी उपायुक्त मद्य निषेध/सभी सहायक आयुक्त मद्य निषेध/सभी अधीक्षक मद्य निषेध/श्री रामबाबु, नवप्रोन्नत सहायक आयुक्त मद्य निषेध, सम्प्रति अधीक्षक मद्य निषेध, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।